उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्यस- 02 /2022/55/92-2-2022-72एम/2019

लखनऊ :: दिनांक:: 14 जनवरी 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजियाबाद द्वारा जनपद गाजियाबाद में सांसद निधि तथा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो के संबंध में शिथिल नियंत्रण, ठेकेदारो की निविदाओं को अनियमित तरीके से नॉन रिस्पॉसिव घोषित किये जाने, एस0बी0डी0 /निदेशालय द्वारा निर्गत सर्कुलर/पत्र संख्या-578/ग्रा0अ0वि0/नियोजन एवं जॉच/निविदा एस0बी0डी0/ पत्रा0सं0-48/2018- 19 दिनांक 07-12-2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों को अनदेखा करते हुये उनका समुचित रूप से अनुपालन नही करने व समस्त निविदा प्रक्रिया में मनमानी/लापरवाही किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1483/92-2-20-72एम/2019 दिनांक 07-09-2020 द्वारा श्री राजेश गोयल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजियाबाद सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता(पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजियाबाद को विभागीय पक्ष/ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-43/92-2-2021-72एम/2019 दिनांक 13-01-2021 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री राजेश गोयल के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र संख्या-42/92-2-21-72एम/19 दिनांक 13-01-2021 जॉच अधिकारी को प्रेषित करते हुये नियमानुसार जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। तत्क्रम में जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-433/ग्रा0अ0वि0/जॉच/अधी0अभि0-आगरा/एस0टी0/2021-22 दिनांक 30-06-2021 द्वारा प्रकरण की जॉच कर जॉच आख्या उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये कुल 02 आरोपों के संबंध में शासन के पत्र संख्या-2368/92-2-21-72एम/2019 दिनांक 07-07-2021 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मॉगा गया जो निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्र दिनांक 01-09-2021 के माध्यम से शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कुल 02 आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, जॉच आख्या में आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में प्राप्त अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री राजेश गोयल, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजियाबाद सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा द्वारा निदेशालय स्तर से निर्गत टी-1 के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किये जाने के लिये उत्तरदायी है। अत: श्री राजेश गोयल, तत्का0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिशासी अभियंता के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1483/92-2-20-72एम/2019 दिनांक 07-09-2020 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"श्री राजेश गोयल, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजियाबाद सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा द्वारा निदेशालय स्तर से निर्गत टी-1 के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किये जाने के लिये उन्हें परिनिन्दित किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 02/2022/55(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री राजेश गोयल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-गाजियाबाद सम्प्रति अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग परिमण्डल-आगरा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।